रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 1980/वैशाख 9, 1902
No. 171] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 1980/VAISAKHA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1980

का० आ० 286(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/80.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० एस० ओ० 293(अ)/18-एए/उ०वि०वि०अ०/78, दिनांक 1 मई, 1978 द्वारा एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के आसनसोल के समीप जे० के० नगर में स्थित औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के अधीन 30 अप्रैल, 1979 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) एक वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के दिनांक 25 अप्रैल, 1979 के एस० ओ० 224(अ) संख्यक आदेश द्वारा उक्त आदेश एक वर्ष की और अवधि के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 1980 तक बढ़ा दिया गया था ;

और, भारत सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को छः महीनों की और अवधि के लिए दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 तक भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध-तंत्र के अधीन बना रहना चाहिए ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि ऊपर उल्लिखित आदेश 31 अक्तूबर, 1980 तक, इसमें यह दिन भी शामिल है, छः महीनों की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फाइल सं० 4(1)/80-सी०यू०एस]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th April, 1980

S.O. 286(E)/18AA/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 293(E)/18AA/IDRA/78, dated the 1st May, 1978, the management of the Industrial Undertaking located at Jaykaynagar near Asansol belonging to the Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta, was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of one year upto and inclusive of the 30th April, 1979 and the Bharat Aluminium Company Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 224(E), dated the 25th April, 1979, the duration of the said Order was extended for a further period of one year upto 30th April, 1980.

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Bharat Aluminium Company Limited for a further period of six months upto and inclusive of 31st October, 1980.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the said Act, the

Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 31st October 1980.

[F. No. 4(1)/80-CUS.]

आदेश

का० आ० 287(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी० आर०ए०/80.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के दिनांक 2 मई 1978 के आदेश संख्या का०आ० 302(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर० ए०/78 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उप-धारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसे सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों, जिनका एल्युमिनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का आसनसोल के समीप जे० के० नगर स्थित औद्योगिक उपक्रम, एक पक्षकार है, या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू हो सकते हों, का प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के दिनांक 25 अप्रैल, 1979 के का०आ० 225(अ)/18एफ०बी०/आई०-डी० आर०ए०/79 संख्यक आदेश द्वारा उक्त आदेश एक वर्ष की और अवधि के लिए दिनांक 1 मई, 1980 तक बढ़ा दिया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार इस बारे में सन्तुष्ट हो गई है कि उक्त आदेश की अवधि 31 अक्तूबर, 1980 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, और बढ़ा दी जाए ।

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश, की अवधि 31 अक्तूबर, 1980 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, बढ़ाती है ।

[फाइल सं० 4(1)/80-सी०यू०एस०]

ORDER

S.O. **287(E)/18FB/IDRA/80.**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 302(E)|18FB|IDRA/78, dated the 2nd May, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order to which the industrial undertaking located at Jaykaynagar near Asansol and belonging to the Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking, shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year ;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 225(E)/18FB/IDRA/79 dated the 25th April, 1979, the duration of the said order was extended for a further period of one year upto the 1st May, 1980.

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto, and inclusive of, the 31st October, 1980;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order up to and inclusive of the 31st October, 1980.

[F. No. 4(1)/80-Cus.]

का० आ० 288/(18अ)/आई०डी०आर० ए०/80.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश सं० का०आ० 157(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/79-तारीख 27 मार्च, 1979 द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार के बंद और रुग्ण उद्योग विभाग के सचिव को, मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिली बार्ली मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नामों से ज्ञात दोनों कलकत्ता में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों का (जिन्हें इसमें आगे उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18ङ की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रमों को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह उन्हें धारा 18क के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी किए जाने के पूर्व लागू था । छूट की अवधि उस समय समाप्त हो जाएगी जब उक्त औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध करना केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबन्ध के अधीन बन्द कर दिया जाता है ।

अनुसूची

कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	ऐसे अपवाद निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रमों को लागू होंगे ।
1	2
धारा 166	इस धारा के उपबन्ध उक्त उपक्रमों को लागू नहीं होंगे। तथापि वे अपनी कानूनी विवरणियों और तुलनपत्र कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे । यह छूट कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी ।
धारा 169	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे।
धारा 210(1)	इस उपधारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे। तथापि वे अपनी कानूनी विवरणियों और तुलनपत्र कंपनी के रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे । यह छूट, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी ।
धारा 217	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे ।
धारा 219	इस धारा के उपबन्ध उक्त उपक्रमों को लागू नहीं होंगे।
धारा 224	इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि लेखा-परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।
धारा 225	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि लेखापरीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
धारा 294	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे ।

[फा० सं० 2(3)/80-सी०यू० एस०]

ब० राय, संयुक्त सचिव

S.O. 288/18(E)/IDRA/80.—Whereas by the notified order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 157(E)/18A/IDRA/79, dated the 27th March, 1979, issued under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries, Calcutta to take over the management of the industrial undertakings known as Messrs Lily Biscuit Company Private Limited and Messrs Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertakings) for the period specified therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government, hereby specifies, in the Schedule annexed thereto the exceptions, restrictions, and limitations subject to which the companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertakings in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified order undersection 18A. The period of exemption shall terminate when the said industrial undertakings cease to be managed by the Central Government under the provisions of the industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertakings.
1	2
Section 166	Provisions of this section shall not apply to the said undertakings. They shall however, file their statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159 (1) of the Companies Act, 1956.
Section 169	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertakings.
Section 210(1)	Provisions of this sub-section shall not apply to the said industrial undertakings. They shall, however, file their statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 217	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertakings.
Section 219	Provisions of this section shall not apply to the said undertakings.
Section 224	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertakings subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 225	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertakings subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 294	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertakings.

[F. No. 2(3)/80-CUS]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.